

प्रेषक,

सुबद्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1— आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार/चम्पावत/
देहरादून/पौड़ी/नैनीताल।
- 3— संभागीय खाद्य नियंत्रक,
गढवाल संभाग, देहरादून/
कुमायूं संभाग, हल्द्वानी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग—2

विषय: खरीफ-खरीद सत्र 2012-2013 में विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत चावल का उद्घग्रहण एवं क्रय।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र सं0 -8-4/2012-एस.एण्ड.-आई. दिनांक 06 अगस्त, 2012 में निहित प्राविधानों के तहत खाद्यायुक्त द्वारा अपने पत्र सं0 541/आ०वि०शा०/ खरीफ खरीद 2012-13 दिनांक 20.09.2012 के द्वारा गुण विनिर्दृष्टियों के आधार पर खरीफ विपणन सत्र 2012-13 में लेवी चावल खरीद नीति के प्रस्तावित मॉडल ड्राफ्ट अनुमोदन हेतु प्राप्त हुआ है।

उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खरीफ-खरीद सत्र 2012-2013 में प्रदेश के किसानों से धान की खरीद, जिलाधिकारियों द्वारा तैयार किसान वार, ग्राम वार सूचियों के आधार पर, दिनांक 01-10-2012 से निम्न प्रस्तरों में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार की जायेगी। धान खरीद हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु समय सारिणी, शासनादेश संख्या— 408/11-XIX-/51 खाद्य /2011 दिनांक 20.09.2012 द्वारा जारी की जा चुकी है। जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत चावल का उद्घग्रहण और क्रय:-

2.1 खरीफ-खरीद सत्र 2012-13 में उद्घग्रहण योजना के अधीन लेवी चावल का उद्घग्रहण क्रय समय-समय पर यथा संशोधित उपर्युक्त अदेश के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा। प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ए०पी०एल०/बी०पी०एल० तथा अन्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार की वार्षिक आवश्यकता के अनुरूप लेवी में क्रय किया गया चावल तथा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खरीदे गये धान की कस्टम हलिंग से प्राप्त चावल स्टेट पूल में संग्रहीत किया जायेगा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सीधे राजकीय गोदामों से उचित दर की दुकानों एवं वितरण एजेन्सी को निर्गत किया जायेगा। राज्य सरकार की वार्षिक

४२५

३६४

आवश्यकता 1.83 लाख मीट्रिक टन से अधिक क्रय किया गया चावल केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को दिया जायेगा।

वर्ष 2012-2013 में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कार्यरत चावल मिलों से उनके द्वारा क्रय किये गये धान से निर्मित चावल पर लेवी ली जायेगी। लेवी योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में अन्य राज्यों से आने वाले धान की द्वितीय आवक की मात्रा का सत्यापन सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि मण्डी परिषद द्वारा प्रादेशिक सीमा पर स्थापित व्यापार कर विभाग की चैक पोस्टों पर यथा आवश्यकता अपने कार्मिकों को अधिकृत करते हुये तैनात किया जायेगा, जो प्रदेश के बाहर से आने वाले धान की द्वितीय आवक से सम्बन्धित प्रपत्रों (यथा 9-आर एवं बिल इत्यादि) को चैक पोस्ट पर सत्यापित करते हुये मोहर सहित सदिनांक हस्ताक्षर करेंगे। इस निमित्त व्यापार कर चैक पोस्टों पर तैनात व्यापार कर विभाग के ही सक्षम कार्मिकों को भी अधिकृत किया जा सकता है।

2.2 खरीफ क्रय वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत राज्य के मिलर्स द्वारा 01-10-2012 से 31-03-2013 तक खरीदे गये धान पर लेवी चावल का उद्ग्रहण व क्रय दिनांक 01-10-2012 से प्रारम्भ होगा तथा लेवी चावल की डिलीवरी 30-06-2013 तक ली जायेगी।

2.3 विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत ए०पी०एल०/बी०पी०एल०/अन्त्योदय अन्न योजना में प्रदेश की चावल की वार्षिक आवश्यकता के समतुल्य मात्रा स्टेट पूल योजान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अपने नियंत्रणाधीन विभागीय गोदाम में संग्रहीत करने के साथ-साथ एस०डब्ल्यू०सी०/सी०डब्ल्यू०सी० के नियंत्रणाधीन गोदामों में भी भण्डारण एजेन्सियों की कस्टडी में संग्रहीत कराया जायेगा।

2.4 स्टेट पूल के अन्तर्गत संग्रहण ऐजेन्सियों के गोदामों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण-निर्दिष्टियों का चावल प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित स्टेट पूल डिपो पर तैनात वरिष्ठ विषयन निरीक्षक/विषयन निरीक्षक तथा संग्रहण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। भण्डारण के उपरान्त चावल की गुणवत्ता एवं सुरक्षा का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित संग्रहण ऐजेन्सी का होगा।

2.5 प्रदेश में स्थित एस०डब्ल्यू०सी० तथा सी०डब्ल्यू०सी० के प्रत्येक गोदाम में जहाँ चावल का भण्डारण स्टेट पूल के अन्तर्गत किया जायेगा वहाँ खाद्य विभाग का स्टॉफ तैनात होगा, जो चावल की मात्रा/गुणवत्ता की जाँच के उपरान्त चावल का स्टॉक प्राप्त करेगा। पुनः ए०पी०एल०/बी०पी०एल०/अन्त्योदय अन्न योजना में निर्गमन के समय खाद्य विभाग का ही स्टॉफ उसे अपनी देख-रेख में सम्बन्धित वितरण ऐजेन्सी को निर्गत करेगा। इस निमित्त कोई अतिरिक्त स्टॉफ की नियुक्ति नहीं की जायेगी और वर्तमान स्टॉफ से ही कार्य लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

उद्ग्रहण ऐजेन्सी तथा क्रय:-

3.1 लेवी चावल की वसूली का कार्य राज्य सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की विषयन शाखा के द्वारा किया जायेगा।

3.2 चूँकि खरीफ-खरीद सत्र 2012-13 हेतु भारत सरकार से लेवी चावल की दरें अभी प्रतीक्षित हैं, अतएव खरीफ-खरीद सत्र 2012-13 हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या-2(1)/2011-PY-I, दिनांक 02-02-2012 द्वारा प्राप्त दरें ही उत्तराखण्ड राज्य हेतु खरीफ विषयन सत्र 2012-13 के लिये अनुमन्य होंगी। खरीफ-खरीद सत्र 2012-13 हेतु भारत सरकार

लेवी चावल का मूल्य प्राप्त होने पर तदनुसार संसूचित किया जायेगा। खरीद वर्ष 2011-12 की लेवी चावल की दरें निम्नवत निर्धारित हैं:-

| किस्म चावल | अखवा रूपये प्रति कुंटल | सेला रूपये प्रति कुंटल |
|------------|------------------------|------------------------|
| कॉमन | 1758.20 | 1748.10 |
| ग्रेड-ए | 1804.10 | 1793.30 |

टिप्पणी :-

क- ऊपर दिये गये मूल्य में चावल खरीद पर भारत सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट आरोपित होने वाले समर्त कर तथा चावल मिलों से भारतीय खाद्य निगम/स्टेटपूल डिपो तक लेवी चावल की डिलीवरी हेतु 08 किलोमीटर तक की दूरी के लिए फारवर्डिंग तथा परिवहन चार्ज भी सम्मिलित है। 08 किमी० से अधिक दूरी के लिए जिलाधिकारी द्वारा खरीद-खरीद सत्र 2012-13 हेतु अनुमन्य स्थानीय परिवहन दर तथा भारतीय खाद्य निगम की दरें, जो भी कम हों, राइस मिलर्स को अनुमन्य होगी।

ख- ऊपरोक्त लेवी चावल के मूल्य में 50 किग्रा० भरती के दो नये बोरों का मूल्य भी सम्मिलित है। चावल मिलों को बोरे के मूल्य की पृथक से किसी धनराशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

3.3 स्टेटपूल योजना में चावल की अधिकतम संग्रह मात्रा 1.83 लाख मी०टन होगी जिसमें मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये धान से निर्मित चावल की मात्रा के अतिरिक्त लेवी योजनान्तर्गत चावल मिलर्स से क्रय किये गये चावल की मात्रा भी सम्मिलित होगी। विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत स्टेटपूल हेतु लेवी चावल के क्रय हेतु सम्भागवार मासिक लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

| क्रम संख्या | माह का नाम | सम्भागवार चावल क्रय का लक्ष्य (मात्रा मी०टन में) | | योग |
|--|---------------|---|--------------|-------------|
| | | कुमायूँ सम्भाग | गढवाल सम्भाग | |
| 1 | अक्टूबर, 2011 | 10,000.00 | 1,000.00 | 11,000.00 |
| 2 | नवम्बर, 2011 | 22,000.00 | 1,000.00 | 23,000.00 |
| 3 | दिसम्बर, 2011 | 45,000.00 | 4,000.00 | 49,000.00 |
| 4 | जनवरी, 2012 | 28,000.00 | 3,000.00 | 31,000.00 |
| 5 | फरवरी, 2012 | 25,000.00 | 2,000.00 | 27,000.00 |
| 6 | मार्च, 2012 | 20,000.00 | 2,000.00 | 22,000.00 |
| योग:- | | | | 1,63,000.00 |
| मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत मिलने वाले सम्भावित कर्स्टम मिल्ड चावल की मात्रा | | | | 20,000.00 |
| महायोग:- | | | | 1,83,000.00 |

स्टेटपूल योजनान्तर्गत संग्रहीत किये जाने वाले चावल हेतु निर्धारित ऊपरोक्तानुसार मात्रा में लेवी चावल एवं मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय किये गये धान से निर्मित चावल की मात्रा भी सम्मिलित है। इस वर्ष मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 50 हजार मी०टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से खाद्य विभाग तथा सहकारिता विभाग हेतु 30 हजार मी०टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं उससे 20 हजार मी०टन सीएमआर चावल प्राप्त होने की

सम्भावना है। यदि स्टेट पूल हेतु उपरोक्तानुसार कस्टम मिल्ड चावल प्राप्त नहीं होता है तो स्टेट पूल हेतु निर्धारित लक्ष्य 1,83,000.00 मी०टन के सापेक्ष अवशेष मात्रा लेवी चावल से पूरी की जायेगी। सम्भागों हेतु निर्धारित उपरोक्त मासिक लक्ष्य से अधिक चावल की खरीद कदापि नहीं की जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक इस सम्बन्ध में निरन्तर पर्यवेक्षण करेंगे।

3.4 लेवी योजना के अधीन लेवी चावल की खरीद उत्तराखण्ड चावल मिल (नियंत्रण और उद्ग्रहण) आदेश, 2008 में विहित सांविधिक सीमा के भीतर की जायेगी।

3.5 चावल मिलों से कोई अग्रिम लेवी नहीं ली जायेगी।

3.6 यह सुनिश्चित किया जाये कि अन्य खाद्यान्न कार्यक्रमों यथा सम्पूर्ण ग्रामीण योजना, मिड-डे-मील योजना इत्यादि में निर्गत हुआ चावल किसी प्रकार लेवी चावल के रूप में recycle न होनें पाये। जिन राईस मिलर्स को इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाया जायेगा, उन्हें काली सूची में रख दिया जायेगा एवं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

4. लेवी की दर :-

4.1 चावल की खरीद चावल मिलों पर लेवी लगाकर की जायेगी। सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लेवी की दर 75 प्रतिशत रहेगी।

4.2 लेवी चावल की खरीद उन्हीं चावल मिलों से की जायेगी, जिनकी न्यूनतम कुटाई क्षमता 0.5 मी०टन प्रति घंटा हो एवं जिसमें निम्नलिखित मशीनरी स्थापित हो :—

- 1 पैडी वलीनर
- 2 रबर रेल सेलर या सेन्ट्रीफ्यूगल डिहस्कर
- 3 पैडी सेपरेटर
- 4 पॉलिशर

4.3 लेवी चावल की खरीद प्रस्तर-3.2 में उल्लिखित ऐसी चावल मिलों से की जायेगी जो व्यापार कर विभाग में पंजीकृत हो तथा उसके पास मण्डी समिति का वैध लाइसेन्स हो।

4.4 व्यापारियों से लेवी नहीं ली जायेगी तथा जिस धान/चावल पर चावल मिल द्वारा लेवी दी जा चुकी हो उस पर दोबारा लेवी नहीं ली जायेगी।

4.5 निर्यात प्रोत्साहन हेतु बासमती तथा पूसा बासमती (1) चावल पूर्णतः लेवी मुक्त रहेगा तथा अन्य प्रकार के केवल निर्यात किये जाने वाले चावल की मात्रा को भी लेवी से पूर्णतः मुक्त रखा जायेगा।

5 बासमती तथा पूसा बासमती (1) चावल के संचरण की व्यवस्था :-

बासमती तथा पूसा बासमती (1) चावल का निर्यात करने वाली इकाइयों को संचरण प्रमाण पत्र के स्थान पर धोषणा पत्र देने की व्यवस्था होगी।

इसके अतिरिक्त बासमती तथा पूसा बासमती (1) चावल की गैर निर्यातक इकाइयों जिनके द्वारा बासमती तथा पूसा बासमती का विक्रय स्थानीय बाजार में किया जाता है, के लिये उक्त बासमती/पूसा बासमती (1) चावल के संचरण हेतु संचरण प्रमाण पत्र के स्थान पर धोषणा पत्र देने की व्यवस्था होगी। बासमती/पूसा बासमती (1) चावल के निर्यातकों/उत्पादकों को उनके द्वारा प्रत्येक माह में निर्यात/उत्पादित/बिक्री किये गये चावल के सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप

लग्न-1) में घोषणा पत्र अगले माह के प्रथम सप्ताह तक सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक के द्वारा इस से खाद्य आयुक्त/शासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

- 5(क) प्रदेश में सेला चावल की खपत न होने के कारण स्टेट पूल में सेला चावल स्वीकार नहीं किया जायेगा। सेला चावल केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा ग्रहण किया जायेगा। स्टेट पूल में सेला चावल के बदले अरवा चावल दिया जा सकता है।
- 5(ख) स्टेट पूल में चावल का क्रय लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु किया जाता है, जिसमें यथा सम्मव कॉमन चावल की आवश्यकता होती है। अतएव ग्रेड-ए चावल के बदले लेवी में कॉमन अरवा चावल लिया जा सकता है। ग्रेड-ए चावल केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा ग्रहण किया जायेगा।

6 अवमुक्त चावल का निस्तारण :-

चावल मिलर्स अपने अवमुक्त चावल के भाग को खुले बाजार में रिलीज सर्टिफिकेट के आधार पर विक्रय कर सकते हैं।

7 चावल की गुण-विनिर्दिष्टियाँ :-

(क) खरीफ-खरीद वर्ष 2012-13 हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या 8-4/2012-S&I दिनांक 06-08-2012 (पताका-A) द्वारा चावल खरीद हेतु गुण-विनिर्दिष्टियाँ जारी की गयी हैं, जो निम्नवत है :-

(विपणन सत्र 2012-13)

चावल ठोस, बिकी योग्य, मीठा, सुखा, साफ, सम्पूर्ण और आहार सम्पूर्णता से समृद्ध, रंग और आकार में एक समान होगा और फफूँदी, घुनों, दुर्गंधि, विषाक्त तत्वों के सम्मिश्रण किसी भी रूप में आर्जिमोन मैक्सीकाना और किसी रूप में लैथिरिस सैटिवस (खेसरी) अथवा रंजक एजेंटों और निम्नलिखित अनुसूचियों में दी गयी सीमा को छोड़कर सभी अशुद्धताओं से मुक्त होगा। यह खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप भी होगा :-

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची

| क्र0सं0 | अपवर्तन | अधिकतम सीमा (प्रतिशत) | |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|---------|
| 1 | टोटा * | ग्रेड-ए | सामान्य |
| | अरवा | 25.0 | 25.0 |
| | सेला/एकल सेला | 16.0 | 16.0 |
| 2 | विजातीय तत्व ** | | |
| | अरवा/सेला/एकल सेला | 0.5 | 0.5 |
| 3 | क्षतिग्रस्त #/मामूली क्षतिग्रस्त दाने | | |
| | अरवा | 3.0 | 3.0 |
| | सेला/एकल सेला | 4.0 | 4.0 |
| 4 | बदरंग दाने | | |
| | अरवा | 3.0 | 3.0 |
| | सेला/एकल सेला | 5.0 | 5.0 |
| 5 | चाकी दाने | | |
| | अरवा | 5.0 | 5.0 |
| 6 | लाल दाने :- अरवा/सेला/एकल सेला | 3.0 | 3.0 |
| 7 | निम्नश्रेणी का सम्मिश्रण :- | 6.0 | -- |

26

26

| | अरवा / सेला / एकल सेला | | |
|---|--|------|------|
| 8 | चोकर सहित दाने :- अरवा / सेला / एकल सेला | 12.0 | 12.0 |
| 9 | नमी तत्व @ :- अरवा / सेला / एकल सेला | 14.0 | 14.0 |

* 1 प्रतिशत छोटे टोटे सहित।

** भार द्वारा खनिज तत्व 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे और भार द्वारा जीव-जनित अशुद्धियां 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

पिन की नोक जितने क्षतिग्रस्त चावल सहित।

@ मूल्य कटौती के साथ 15 प्रतिशत तक की अधिकतम सीमा तक नमी तत्व वाले चावल (अरवा, सेला और एकल सेला तीनों) की खरीद की जा सकती है। 14 प्रतिशत तक कोई मूल्य कटौती नहीं होगी। 14 से 15 प्रतिशत के बीच पूर्ण कीमत की दर पर मूल्य कटौती लागू होगी।

उपर्युक्त अपवर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधि का अनुसरण भारतीय मानक ब्यूरो की समय-समय पर यथासंशोधित "खाद्यान्नों का विश्लेषण करने की विधि" "संख्या-आई0एस0-4333 (भाग-1)-1996 और आई0एस0-4333 (भाग-2) 2002 और खाद्यान्नों की शब्दावली-2813-1995 में किये गये उल्लेख के अनुसार किया जाना है। चोकरयुक्त दाने साबूत अथवा टूटे चावल के वे दाने होते हैं, जिनके सतही क्षेत्र का एक-चौथाई से अधिक चोकर से ढका होता है और इनका निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

विश्लेषण प्रक्रिया :-

(1) पैट्री डिश (80 x 70 मि0मी0) में 05 ग्राम चावल (साबूत चावल और टोटा) लें। मैथीलिन के नीले धोल में (आसवित जल में भार द्वारा 0.05 प्रतिशत) के लगभग 20 मि0ली0 में इन दानों को छुबायें और लगभग एक मिनट तक रहने दें। मैथीलिन के नीले धोल को निथारकर निकाल दें। लगभग 20 मि0ली0 तनु हाईड्रोक्लोरिक अम्ल (आसवित जल में आयतन द्वारा 5 प्रतिशत का धोल) के साथ घुमाकर धोयें। पानी में घुमाकर धोयें और नीले रंजित दानों पर लगभग 20 मि0ली0 मैटानिल के येलो धोल (आसवित जल में भार द्वारा 0.05 प्रतिशत) को डालें और लगभग 1-मिनट रहने दें। एफल्यूएंट को निथारकर निकाल दें और 2 बार ताजे पानी से धोएं। रंजित दानों को ताजे पानी में रखें और चोकरयुक्त दानों की गणना करें। विश्लेषण किए जा रहे नमूने के 5 ग्राम में दानों की कुल संख्या गिनें। 3 टूटे दानों की गणना एक साबूत दाने के रूप में की जाती है।

गणना :-

$$\text{चोकरयुक्त दानों का प्रतिशत} = \frac{\text{एन} \times 100}{\text{डब्ल्यू}}$$

जहाँ एन = नमूने के 05 ग्राम के चोकरयुक्त दानों की संख्या,

डब्ल्यू = नमूने के 05 ग्राम में दानों की कुल संख्यां।

(2) नमूने लेने की विधि का अनुसरण समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की "अनाजों और दालों का नमूना लेने की विधि" संख्या-आई0एस0-14818-2000 में दी गयी विधि के अनुसार किया जायेगा।

८१

५८

(3) पूरे साबुत दाने के आकार के 8 वें हिस्से से छोटा टोटा कार्बनिक विजातीय तत्व के रूप में समझा जायेगा। टोटे की औसत लम्बाई के आकार का निर्धारण करने के लिये चावल के मूल श्रेणी की लम्बाई को हिसाब में लिया जायेगा।

(4) चावल की किसी भी लाट में अकार्बनिक विजातीय तत्व 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यदि वह अधिक हो, तो स्टॉक को साफ किया जायेगा और उसे सीमा के अन्दर लाया लायेगा। चावल की सतह पर मिट्टी लगे दानों या दानों के टुकड़ों को अकार्बनिक विजातीय पदार्थ माना जायेगा।

(5) दबाव अधोषणा तकनीक से तैयार किये गये सेला चावल की स्थिति में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अधोषण करने की सही प्रक्रिया अपनायी गयी है अर्थात् प्रेषण करने से पूर्व डाला गया दबाव, समय जब तक दबाव डाला गया है, समुचित शास्त्रीय वातन और शुष्कन इतना पर्याप्त हो, जिससे कि सेला चावल का रंग और पकाने का समय अच्छा हो और दानों की पपड़ी से मुक्त हो।

8. लेवी चावल खरीद का लक्ष्य तथा भण्डारण :-

खरीफ वर्ष 2012-13 में लेवी चावल क्रय का कार्यकारी लक्ष्य 4.00 लाख मी०टन निर्धारित किया जाता है। लेवी चावल का उद्ग्रहण मिलर्स द्वारा खरीदे गये धान से उत्पादित चावल के 75 प्रतिशत की सांविधिक सीमा तक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत किया जायेगा।

लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य की चावल की आवश्यकता 1.83 लाख मी०टन है। प्रदेश में इस वर्ष धान खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 0.50 लाख मी०टन रखा गया है तथा खाद्य विभाग एवम् सहकारिता विभाग हेतु 0.30 लाख मी०टन लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिससे लगभग 0.20 लाख मी०टन चावल (सी०एम०आर०) प्राप्त होगा, जो स्टेटपूल में जन वितरण प्रणाली में प्रयोग हेतु भण्डारित किया जायेगा। जन वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक अवशेष 1.63 लाख मी०टन चावल लेवी से प्राप्त कर स्टेटपूल में रखा जायेगा। स्टेटपूल की आवश्यकता से अधिक उद्ग्रहीत लेवी चावल भारतीय खाद्य निगम को केन्द्रीय पूल में दिया जायेगा। मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की अधिक या कम खरीद होने पर अधिक/कम कस्टम मिल्ड चावल प्राप्त होने की स्थिति में कस्टम मिल्ड चावल/लेवी चावल की स्टेट पूल में भण्डारित की जाने वाली मात्रा में यथा आवश्यकतानुसार आयुक्त (खाद्य) द्वारा संशोधन कर लिया जायेगा।

9 अवशेष सी०एम०आर० की वसूली :-

ऐसी राइस मिलों को कस्टम मिलिंग हेतु धान तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक उनसे गत वर्षों का समस्त बकाया सी०एम०आर० प्राप्त न हो जाये।

10 चावल का संग्रह एजेन्सी को सम्प्रदान एवं मिलर को भुगतान :-

10.1 सम्भागीय खाद्य नियंत्रक अपने—अपने सम्भाग में प्रत्येक चावल मिल द्वारा खरीफ—खरीद सत्र 2012-13 में क्रय किये गये धान तथा मिल द्वारा वास्तविक रूप से की गयी धान की कुटाई के आधार पर ही लेवी में लिये जाने वाले चावल हेतु लाटों का निर्धारण करेंगे।

10.2 केन्द्रीय पूल तथा स्टेट पूल में संग्रह हेतु जनपद में उपलब्ध भारतीय खाद्य निगम/एस०डब्ल०सी०/सी०डब्ल०सी० की भण्डारण क्षमता व मूवमेंट प्लान के अनुरूप चावल मिलों

१८८

२५४

को गोदामों से सम्बद्ध किये जाने की कार्यवाही सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा गोदामों में लेवी चावल की सुचारू डिलीवरी हेतु वहाँ प्रतिदिन ट्रकों को उतारने की क्षमता को ध्यान में रखकर रोस्टर तैयार किया जायेगा, जिसकी प्रति अनुसार ही मूवमेंट चालान जारी किया जाना सुनिश्चित करेंगे। सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी उक्त रोस्टर प्लान के मूवमेंट चालान राइस मिलर्स को एडवान्स निर्गत किया जाता है तो उनके विरुद्ध कठोरतम प्रशासनिक/विधिक कार्यवाही की जायेगी।

10.3 चावल मिलर निर्धारित गुण-विनिर्दिष्टियों के अनुरूप निर्भित चावल के लेवी अंश का ऑफर सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक को देगा। तैयार चावल को मिलर द्वारा के उपरान्त निर्धारित गुण-विनिर्दिष्टियाँ के अनुरूप पाये जाने पर सम्बन्धित संग्रह एजेन्सी मूवमेंट चालान (संलग्न-2) जारी किया जायेगा।

चावल की खरीद का कार्य संग्रह ऐजेन्सी के डिपो पर डिलीवरी के बाद ही पूर्ण माना जायेगा। संग्रहण एजेन्सीयों द्वारा कस्टम मिल्ड राईस एवम लेवी चावल का लेखा-जोखा पृथक-पृथक रखा जायेगा।

10.4 मिल पर तैनात वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक का दायित्व होगा कि जो चावल की लाट लेवी योजनान्तर्गत केन्द्रीय/विकेन्द्रीकृत योजना में संग्रहण हेतु क्रय की जा रही है, उसके उद्ग्रहण में परिदित चावल के चार नमूने आहरित किये जायेंगे, उसको मोहर बंद कर एक नमूना चावल मिल मालिक या उसे प्रतिनिधि के समक्ष विश्लेषण किया जायेगा और दो नमूने सम्भागीय विश्लेषणशाला को भेज दिये जायेंगे तथा अवशेष एक नमूना क्रय केन्द्र पर ही सुरक्षित रखा जायेगा, जब तक कि खरीफ-खरीद सत्र निर्विवाद रूप से सम्पन्न न हो जाये। सम्भागीय विश्लेषणशाला में प्राप्त दो नमूनों में से एक नमूने का विश्लेषण कर साप्ताहिक रूप से विश्लेषण रिपोर्ट खाद्यायुक्त कार्यालय में स्थापित खाद्य नियंत्रण कक्ष में प्रेषित की जायेगी तथा एक नमूना खरीफ-खरीद सत्र 2012-13 निर्विवाद रूप से सम्पन्न होने तक सुरक्षित रखा जायेगा।

10.5 इस प्रकार ऑफर किये गये चावल को सीधे संग्रह एजेन्सी के डिपो पर प्रदत्त किया जायेगा। मिलर के गोदाम से संग्रह एजेन्सी के डिपो को चावल का परिवहन सम्बन्धित चावल मिलर द्वारा किया जायेगा। परिवहन के दौरान राज्य सरकार को कोई हानि या क्षति होती है, तो इसका भुगतान/समायोजन मिलर के देयकों से किया जायेगा।

10.6 यदि लेवी चावल के किसी लाट को गुण विनिर्दिष्टियों के आधार पर संग्रह एजेन्सी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो मिलर उसे अपनी लेवी मुक्त अंश से तत्काल बदल देगा। सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अस्वीकृत लाट के मूल्य व श्रेणी के समतुल्य नया लाट मिलर के अवमुक्त अंश से लेगा। इस प्रक्रिया में होने वाली हानि/बोरों की हानि अथवा अतिरिक्त व्यय सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता मिलर द्वारा वहन किया जायेगा।

10.7 लेवी चावल से भरा हुआ प्रत्येक ट्रक जो संग्रह एजेन्सी के डिपो पर डिलीवरी हेतु जायेगा, उसकी प्रविष्टि संग्रह एजेन्सी के गेट/इन्ट्री रजिस्टर में अनिवार्यतः की जायेगी। संग्रह एजेन्सी के डिपो पर भेजा गया कोई भी ट्रक किसी भी दशा में बिना गेट इन्ट्री रजिस्टर में दर्ज हुए तथा उसके बिना वजन लिये वापस नहीं किया जायेगा।

10.8 भारतीय खाद्य निगम के डिपो पर चावल की डिलीवरी किये जाने की दशा में एक लाट के सम्प्रदान के उपरान्त भारतीय खाद्य निगम से उसके मूल्य का भुगतान प्राप्त होने पर सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी/वित्त अधिकारी/सहायक वित्त अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

10.9 स्टेट पूल में संग्रह ऐजेन्सी को मिलर/परिवहन कर्ता द्वारा चावल की लाट सीधे प्रदान करने के पश्चात चावल के मूल्य का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत तथा निर्धारित दरों पर अन्य व्यय का भुगतान सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी/वित्त अधिकारी/सहायक वित्त अधिकारी द्वारा मिलर को संग्रह ऐजेन्सी में प्राप्त किये गये मूवमैट चालान की स्वीकृति और वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक द्वारा भेजे गये बिलों के आधार पर अभिस्वीकृति पत्र के साथ किया जायेगा। यदि संग्रह ऐजेन्सी द्वारा जारी किये गये इकनॉलेजमेन्ट आदि के आधार पर गुण-विनिर्दिष्टियाँ या प्रासंगिक व्यय की किसी मद में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई कटौती की जाती है, तो उसकी रिकवरी व्याज सहित सम्बन्धित मिलर के आगामी बिलों/देयों से की जायेगी।

10.10 (क) प्रभावी एवं सुचारू रूप से चावल खरीद सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक चावल मिल को विपणन निरीक्षक/वरिष्ठ विपणन निरीक्षक के सीधे नियंत्रण व पर्यवेक्षण में सम्बद्ध किया जायेगा, जो प्रतिदिन उत्पादित चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा का सत्यापन करेगा और उसकी रिपोर्ट केन्द्र प्रभारी को देगा।

10.10 (ख) केन्द्र प्रभारी स्वयं चावल मिलों में उत्पादित चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा का सत्यापन करेगा और अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय विपणन अधिकारी को प्रेषित करेगा।

10.10 (ग) उप सम्भागीय विपणन अधिकारी स्वयं प्रत्येक पक्ष में मिल के गोदाम में संग्रहित लेवी चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा की जाँच करेगा और जाँच के उपरान्त अपनी पाक्षिक रिपोर्ट सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को प्रस्तुत करेगा, जिसकी एक प्रति खाद्यायुक्त को प्रेषित की जायेगी।

10.10 (घ) सम्भागीय विपणन अधिकारी स्वयं रेण्डम आधार पर 10 प्रतिशत चावल मिलों में उत्पादित चावल की गुणवत्ता व स्टॉक का सत्यापन करेंगे तथा पाक्षिक रिपोर्ट सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को प्रस्तुत करेंगे, जिसकी एक प्रति खाद्यायुक्त को प्रेषित की जायेगी।

10.10 (च) सम्भागीय खाद्य नियंत्रक मिल परिसर में लेवी चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा की जाँच से सम्बन्धित रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे और उसकी मासिक रिपोर्ट खाद्यायुक्त को प्रेषित करेंगे। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक स्वयं रेण्डम आधार पर 05 प्रतिशत चावल मिलों में सरकारी चावल के स्टॉक का सत्यापन करेंगे।

10.10 (छ) समय-समय पर अपने अधीनस्थ स्टॉफ से रिपोर्ट न मिलने पर या अपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त होने की दशा में उससे उच्च अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह तत्काल उस मिल या अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आने वाली मिल में भण्डारित लेवी चावल के स्टॉक की आकस्मिक जाँच करें तथा उसकी रिपोर्ट प्रेषित करें।

10.10 (ज) उत्पादित चावल की गुणवत्ता व स्टॉक की जाँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चावल मिल के गोदाम में उत्पादित/संग्रहीत लेवी चावल के स्टॉक की क्रॉस चैकिंग व्यवस्था की जायेगी। सम्भागीय

खाद्य नियंत्रक एक केन्द्र/जिले के स्टॉफ को दूसरे केन्द्र/जिले में भेजकर रैण्डम आधार पर चावल मिलों में भण्डारित चावल की गुणवत्ता व स्टॉक का सत्यापन करायेंगे।

10.11 केन्द्रीय पूल हेतु सम्प्रदान किये गये चावल का संग्रहण डिपो पर गुणवत्ता सम्बन्धी विवाद होने की स्थिति में क्रय केन्द्र से प्रेषित की गयी लाट का संयुक्त विश्लेषण भारतीय खाद्य निगम के तकनीकी सहायक एवं खाद्य विभाग के प्रेषणकर्ता केन्द्र के वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

10.12 खरीफ-खरीद सत्र 2012-13 में क्रय/प्राप्तकर्ता केन्द्र प्रभारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक-3-अ एवं 3-ब) पर अपने केन्द्र पर क्रय/प्राप्त किये गये चावल की प्रविष्टि पंजिका संरक्षित की जायेगी। इस प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य स्वयं निर्मित प्रारूप पर कदापि सूचना नहीं रखी जायेगी। इसी प्रारूप पर विकेन्द्रीयकृत योजना के अन्तर्गत प्राप्तकर्ता स्टेट पूल प्रभारियों द्वारा भी पंजिका रखी जायेगी।

10.13 भुगतान प्रक्रिया के पर्यवेक्षण का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, सम्बन्धित सम्भागीय विपणन अधिकारी, वरिष्ठ वित्त अधिकारी/वित्त अधिकारी/सहायक वित्त अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का होगा, तथा यदि इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन में किसी भी अनियमितता अथवा दुविर्नियोग के कारण शासन को हानि होती है तो इस हेतु उक्त अधिकारी/कर्मचारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी/वित्त अधिकारी/सहायक वित्त अधिकारी (खाद्य) मिर्लस को भुगतान तथा संग्रह एजेन्सी से प्राप्त भुगतान की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे और रिपोर्ट वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को भेजेंगे।

10.14 प्रत्येक स्टेट पूल डिपो प्रभारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्टैक पंजिका अनुरक्षित की जायेगी।

11. राज्य सरकार की संग्रह एजेन्सियों तथा भारतीय खाद्य निगम को लेवी चावल का सम्प्रदान :-

11.1 विकेन्द्रीकृत लेवी चावल की क्रय की व्यवस्था के अन्तर्गत लेवी चावल का सम्प्रदान संग्रह एजेन्सी को किया जायेगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये राज्य सरकार की आवश्यकता की मात्रा के चावल का संग्रह राज्य सरकार की संग्रह एजेन्सियों के गोदामों में किया जायेगा। राज्य सरकार की आवश्यकता से अधिक जो चावल क्रय किया जायेगा, उसका सम्प्रदान भारतीय खाद्य निगम को किया जायेगा। स्टेट पूल में भण्डारित किये जाने वाले लेवी/कस्टम मिल्ड चावल का सम्भागवार/जनपदवार ब्रेकअप सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा सम्भाग/जनपद में चावल के उत्पादन एवं पी०डी०एस० की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा कि सेकेण्डरी मूवमैन्ट में न्यूनतम परिवहन कराना पड़े।

11.2 गढ़वाल सम्भाग में लेवी चावल की खरीद नगण्य है एवम् गढ़वाल सम्भाग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत चावल की आपूर्ति के लिये पूर्ण रूप से कुमाऊँ सम्भाग पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमाऊँ सम्भाग, हल्द्वानी सर्वप्रथम गढ़वाल सम्भाग हेतु चावल की आपूर्ति गढ़वाल सम्भाग के निकटतम क्रय केन्द्रों से करना सुनिश्चित करेंगे तथा निकटतम केन्द्रों पर चावल की अनुपलब्धता की दशा में ही अन्य केन्द्रों, दूरी को दृष्टिगत रखते हुये, से चावल का संचरण करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि राज्य सरकार को परिवहन मद में अतिरिक्त व्यय भार न उठाना पड़े।

11.3 लेवी चावल क्रय की व्यवस्था, चावल मिलों/क्रय केन्द्रों का कोडीफिकेशन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यवाही करेंगे एवं इसकी सूचना खाद्यायुक्त एवं शासन को प्रेषित करेंगे।

चावल की तौलाई :-

संग्रह ऐजेन्सी को चावल का ट्रक भेजने के पूर्व केन्द्र प्रभारी द्वारा ट्रक में लदे चावल का उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये धर्म टैटे पर कराकर प्राप्त वजन की रसीद को सम्यक रूप से सत्यापित कर ट्रक के साथ संग्रह ऐजेन्सी को भेजा जायेगा। रसीद की दूसरी प्रति ट्रक ड्राइवर मिलर की ओर से अपने पास रखेगा। संग्रह ऐजेन्सी के डिपो पर ट्रक का वजन करने पर यदि बोरों में वजन का कोई अन्तर पाया जाता है या वजन में कोई विवाद होता है, तो ट्रक में लोड की गयी लाट से रैण्डम आधार पर बोरे उतारकर 10 प्रतिशत बोरों का वजन कराया जायेगा और इस सम्बन्ध में वहाँ तैनात बाट माप निरीक्षक को सूचित किया जायेगा, जो सम्बन्धित धर्म कॉटे पर जाकर उसका निरीक्षण करेगा और जाँच में जो वजन सही पाया जायेगा, वही अन्तिम माना जायेगा।

13 प्रदेश के बाहर चावल का संचरण :-

लेवी देने के बाद अवमुक्त व्यापारी भाग का चावल मिलर द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिलीज प्रमाण पत्र के आधार पर संचरण किया जायेगा।

14 चावल की खरीद के लिये लाट का निर्धारण :-

समस्त केन्द्रों पर केन्द्रीय पूल (भारतीय खाद्य निगम) हेतु 50 किग्रा की भरती वाले नये एस0बी0टी0 बोरों में 270 कुंटल/540 कट्टों की लाटों में चावल की खरीद की जायेगी तथा स्टेटपूल हेतु 50 किग्रा की भरती वाले नये एस0बी0टी0 बोरों में 150 कुंटल/300 कट्टों की लाटों में चावल की खरीद की जायेगी एवं लेवी चावल का संचरण परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित मानकों/नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा। संग्रह ऐजेन्सी को डिलीवरी में प्रत्येक स्तर पर “प्रथम आगत प्रथम स्वागत” का सिद्धांत अपनाया जायेगा। प्रत्येक केन्द्र पर चावल मिलों से लाट ऑफर का एक “प्राथमिकता—पर्जिका” केन्द्र प्रभारी द्वारा रखी जायेगी।

15 संग्रह ऐजेन्सी के डिपो पर चावल की गुणवत्ता की जाँच :-

यदि सम्प्रदान के लिये प्रेषित किये गये चावल की गुण—विनिर्दिष्टियाँ के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सम्बन्धित स्टेट पूल डिपो प्रभारी के अनुरोध पर प्रेषणकर्ता केन्द्र प्रभारी, सम्बन्धित संग्रह ऐजेन्सी के डिपो प्रभारी द्वारा इसका संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा तथा इसकी सूचना तत्काल सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को दी जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा भी इस निमित्त तत्काल उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय विपणन अधिकारी को पर्यवेक्षण हेतु भेजा जायेगा।

जहाँ पर विभागीय गोदामों को स्टेटपूल गोदाम घोषित किया गया है, वहाँ पर यदि गुणवत्ता सम्बन्धित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्राप्तकर्ता स्टेट पूल डिपो प्रभारी तत्काल इसकी सूचना प्रेषणकर्ता केन्द्र प्रभारी को देगा ताकि संयुक्त रूप से चावल का विश्लेषण किया जा सके। प्राप्तकर्ता केन्द्र प्रभारी द्वारा इसकी सूचना तत्काल सम्बन्धित उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय विपणन अधिकारी एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को भी अनिवार्य रूप से दी जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक इस हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय विपणन अधिकारी को मौके पर भेजकर निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे।

16 लेवी योजनान्तर्गत क्रय किये गये चावल का निस्तारण :-

16.1 भारत सरकार द्वारा खरीफ—खरीद सत्र 2012–13 हेतु निर्धारित गुण—विनिर्दिष्टियाँ के अनुरूप न पाये जाने पर संग्रह ऐजेन्सी द्वारा चावल की कोई लाट अस्वीकार कर दिये जाने के

कारण सम्प्रदान नहीं हो पाती है तो उस लाट के मूल्य तथा श्रेणी के समतुल्य चावल की मासम्बन्धित मिलर से उसके अवमुक्त अंश (रिलीज शेयर) में से प्रतिस्थापन लाट से लिया जायेगा और उसे संग्रह एजेन्सी को दे दिया जायेगा। इस प्रक्रिया में होने वाली पारगमन हानि, बोरा आदि की हानि या अतिरिक्त व्यय, यदि कोई हो, को सम्बन्धित मिलर द्वारा वहन किया जायेगा। संग्रह एजेन्सी के डिपो पर मिलर द्वारा प्रेषित लाट के अस्वीकृत होने की दशा में मिलर को उस लाट के मिल गोदाम से संग्रह एजेन्सी के डिपो तक आने-जाने में होने वाले परिवहन व्यय का भुगतान भी नहीं किया जायेगा।

16.2 यदि स्टेटपूल योजनान्तर्गत खाद्य विभाग के विभागीय गोदामों में क्रय किये गये संग्रहीत चावल की गुणवत्ता डिपो प्रभारी/केन्द्र प्रभारी की लापरवाही बरतने के कारण कालान्तर में खराब होने पर जन वितरण के लिए उपयुक्त नहीं रह जाती है तो उक्त चावल का निस्तारण सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा विलम्बितम् एक पक्ष में समिति का गठन कर कमर्शियल सेल के माध्यम से करा दिया जायेगा तथा चावल के इकॉनामिक कास्ट एवं कमर्शियल सेल के अन्तर्मूल्य की वसूली गुण दोष के आधार पर सम्बन्धित प्राप्त कर्ता केन्द्र प्रभारी एवं डिपो प्रभारी (विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक) से सुनिश्चित की जायेगी। इसी प्रकार स्टेटपूल योजनान्तर्गत सी०डब्ल्य०सी०/एस०डब्ल्य०सी० के गोदामों में संग्रहीत चावल की गुणवत्ता खराब होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित संग्रहण एजेन्सी की होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति सम्बन्धित भण्डारण एजेन्सी से की जायेगी।

16.3 प्राप्त कर्ता स्टेट पूल डिपो/केन्द्र प्रभारी द्वारा निर्धारित गुणनिर्दिष्टियों के अनुरूप न पाये जाने पर अस्वीकृत की गयी लेवी चावल की लाटों की केन्द्रवार सूचना सम्बन्धित क्षेत्र के उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय विपणन अधिकारी को साप्ताहिक रूप से दी जायेगी। उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले स्टेट पूल डिपो की अस्वीकृत लाटों की संकलित सूचना खाद्यायुक्त कार्यालय में स्थापित खाद्य नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी। अस्वीकृत लाटों के आधार पर खाद्यायुक्त द्वारा प्रेषण कर्ता वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

17 क्रय केन्द्र से सप्रांह एजेन्सी तक चावल का परिवहन :-

मिल गोदाम से संग्रहं ऐजेन्सी के इंगित डिपो तक चावल का परिवहन सम्बन्धित चावल मिलर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा जिसके लिये परिवहन व्यय का भुगतान सम्बन्धित जिला अधिकारी द्वारा खरीफ खरीद वर्ष 2012-2013 हेतु स्वीकृत परिवहन दरों पर किया जायेगा। परिवहन व्यय के आकेलन हेतु सम्बन्धित चावल मिल से संग्रहं ऐजेन्सी के डिपों तक के लिये मूवमेन्ट प्लान के अनुसार डिपो तक उप संभागीय विपणन अधिकारी द्वारा सत्यापित दूरी अनुमन्य होगी। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रथम 08 किलोमीटर तक के लिये कोई परिवहन व्यय अनुमन्य नहीं होगी। स्टेटपूल योजना के अन्तर्गत संग्रह गोदाम से वितरण गोदाम तक कस्टम मिल्ड चावल एवं लेवी चावल का मूवमेन्ट प्लान संभाग के अन्तर्गत वितरण की आवश्यकता के अनुसार संभागीय खाद्य नियंत्रक निर्गत करेंगे। स्टेट पूल योजना के अन्तर्गत विभिन्न ऐजेन्सियों के गोदामों में संग्रहीत किये जाने वाले चावल के भण्डारण व्यवस्था तथा इस हेतु गोदामों का केन्द्रों से सम्बद्धीकरण तथा चावल के मूवमैन्ट की कार्यवाही मितव्ययता के आधार पर की जायेगी। इसे दो चरणों में पूर्ण किया जायेगा सर्वप्रथम भण्डारण व्यवस्था दोनों संभागों के बेस गोदाम से सम्बद्ध घोषित स्टेटपूल डिपो पर किया जायेगा ताकि आवंटन के अनुरूप प्रथम चरण में प्राप्ति संभाग के जिन स्थानों/जिलों में गोदाम क्षमता रिक्त है वहाँ सर्वप्रथम पर्वतीय अँचल के दूरस्थ गोदामों हेतु चावल का प्रेषण सुनिश्चित किया जा सके तत्पश्चात मैदानी क्षेत्र के बेस गोदामों पर संग्रहण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

चूँकि गढ़वाल संभाग में चावल का उत्पादन कम होता है तथा गढ़वाल संभाग पूर्णतः कुमायूँग में उत्पादित चावल पर ही निर्भर करता है, अतः संभागीय खाद्य नियंत्रक कुमायूँ संभाग द्वारा नय—समय पर संभागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल से सम्पर्क कर चावल के प्रेषण का कार्यक्रम निर्धारित किया जायेगा। संभागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायूँ का यह दायित्व होगा कि वह प्राप्ति संभाग अर्थात् संभागीय खाद्य नियंत्रक गढ़वाल संभाग की आवश्यकता अनुसार चावल का प्रेषण सुचारू रूप से सुनिश्चित करायेंगे ताकि पर्वतीय क्षेत्र के आन्तरिक गोदामों पर सार्वजनिक वितरण प्रभावित न होने पाये।

प्रथम भण्डारण आवश्यकता के पूर्ण होते ही द्वितीय भण्डारण व्यवस्था प्रारम्भ की जायेगी। यह भण्डारण व्यवस्था स्टैटिक ना होकर डायनामिक होगी, अतएव इसे आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड की अनुमित के पश्चात ही आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति हेतु संभागीय खाद्य नियंत्रक अपने—अपने कार्य क्षेत्र में एक जनपद से दूसरे जनपद के लिये चावल का संचरण मितव्यता के आधार पर करेंगे।

चावल मिलर, जो कि लेवी योजना के अन्तर्गत अपनी चावल की लाठों के संचरण हेतु परिवहन ठेकेदार भी है, द्वारा गढ़वाल संभाग के विभिन्न स्टेटपूल डिपोज पर चावल प्रेषण करने में मार्ग में पड़ने वाली वाणिज्य कर विभाग की चैक पोस्टों पर नियमानुसार प्रविष्टियाँ मूवमैन्ट चालान पर कराकर ही चावल संचरण करायेंगे तथा स्टेटपूल डिपो प्रभारी इन प्रविष्टियों का अवलोकन करने के उपरान्त ही चावल की प्राप्ति लेना सुनिश्चित करेंगे। यदि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसका पूर्ण दायित्व परिवहन कर्ता राईस मिलर एवं प्राप्त कर्ता स्टेटपूल गोदाम प्रभारी का होगा।

राज्य की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वार्षिक आवश्यकता 1.83 लाख मी०टन चावल की स्टेट पूल में पूर्ति होने तक केन्द्रीय पूल में चावल कॉमन का सम्प्रदान कदापि नहीं किया जायेगा। अपरिहार्य स्थिति में यदि इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता संभागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा महसूस की जाती है तो इसका औचित्यपूर्ण प्रस्ताव खाद्यायुक्त को प्रेषित किया जायेगा। खाद्यायुक्त को दोनों संभागों की चावल की प्राप्ति की समीक्षा उपरान्त केन्द्रीयपूल में चावल कॉमन के सम्प्रदान कराने हेतु निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया जाता है।

क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा लेवी योजनान्तर्गत स्टेटपूल योजना में क्रय किये गये चावल का लेखा जोखा इस प्रकार रखा जायेगा कि स्टेटपूल में निर्धारित लक्ष्य से अधिक चावल का प्रेषण न होने पावे। क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा जिस संग्रह एजेन्सी के डिपो के लिये लेवी/कस्टम मिल्ड चावल का मूवमैन्ट चालान निर्गत किया जायेगा चावल उसी निर्दिष्ट संग्रह डिपो पर डिलीवर किया जायेगा। मूवमैन्ट चालानों पर किसी प्रकार की कटिंग/ओवरराइटिंग अनुमन्य नहीं होगी। संभागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य), गढ़वाल/कुमायूँ संभाग कटिंग/ओवरराइटिंग वाले मूवमैन्ट चालानों पर कदापि मिलर्स को भुगतान नहीं करेंगे एवं इसकी सूचना तत्काल खाद्यायुक्त कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड तथा संभागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा विकेन्द्रीकृत योजना के अन्तर्गत खरीफ—खरीद सत्र 2012–13 में स्टेटपूल डिपोज पर ऐसे कार्मिकों की तैनाती कदापि नहीं की जायेगी, जो विगत वर्षों में खरीफ—खरीद योजना में अनियमितता बरतने पर दण्डित किये गये हों अथवा जिनके विरुद्ध कोई भी विभागीय कार्यवाही प्रचलन में हो।

18 प्रासंगिक व्ययों की प्रतिपूर्ति :-

वर्ष 2012–13 में प्रासंगिक व्यय की जो दरें भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की जायेगी, उसी के अनुसार प्रासंगिक व्यय का भुगतान किया जायेगा।



19 चावल खरीद हेतु खाली बोरों की व्यवस्था :-

खरीफ-खरीद वर्ष 2012-13 में चावल की खरीद 50 किग्रा० भरती के नये एस०बी०टी० बोरों में की जायेगी, जिनकी मशीन में दोहरी सिलाई अनिवार्यतः की जायेगी। लेवी चावल भरने हेतु बोरों की व्यवस्था चावल मिल द्वारा स्वयं की जायेगी। चावल मिलों द्वारा लेवी में दिये जाने वाले बोरे बी०आई०एस० मानक के अनुरूप होंगे। यदि चावल मिलर द्वारा अधोमानक बोरों का प्रयोग किया जाता है, तो चावल के लाटों की डिलीवरी स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि भविष्य में किसी भी स्टेटपूल गोदाम में निरीक्षण के दौरान अधोमानक बोरे संग्रहीत पाये जाते हैं तो सम्बन्धित स्टेटपूल डिपो प्रभारी/क्रय केन्द्र प्रभारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा बोरों के मूल्य की वसूली की जायेगी।

20 चावल के भरे बोरों पर स्टैंसिलिंग, कोडिफिकेशन और लाट संख्याकान :-

20.1 चावल के भरे हुए बोरों पर मिलर द्वारा मिल का नाम, कोड नम्बर, चावल की किस्म, शुद्ध भार तथा लाट संख्या और खरीफ-खरीद सत्र 2012-13 स्पष्ट रूप से अनिवार्यतः प्रत्येक बोरे पर स्टैंसिलिंग किया जायेगा, जो कि पठनीय हो।

चावल मिलर द्वारा बोरों पर कोड नम्बर आदि अंकित न किये जाने पर उक्त लेवी चावल की डिलीवरी स्वीकार नहीं की जायेगी। चावल क्रय में प्रयुक्त होने वाले नये एस०बी०टी० (50 किग्रा०) बोरों पर भारत सरकार के पत्र संख्या-15(1)/2012-PY-III दिनांक 15-06-2012 के अनुसार कलर कोडिंग लाल रंग से तथा स्टैंसिलिंग नीले रंग से की जायेगी। बोरे के मुँह पर लाल रंग से निशान लगाया जायेगा अथवा बोरे की सिलाई हेतु लाल रंग के धागों का प्रयोग किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि खरीफ-खरीद सत्र 2011-12 के हरे रंग के नये एस०बी०टी० बोरे विभाग के पास अवशेष हैं तो इन्हें भी खरीफ-खरीद सत्र 2012-13 में प्रयोग में लाया जा सकेगा।

20.2 लेवी चावल के प्रत्येक बोरे पर स्पष्ट रूप से पठनीय लाट संख्या आदि अंकित कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मिल पर तैनात वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक की होगी, जिसमें विफल रहने पर उसके विरुद्ध सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा कठोर कार्यवाही की जायेगी।

20.3 चावल मिलर्स द्वारा कस्टम मिल्ड/लेवी चावल के प्रत्येक बोरे के मुँह पर बाहर की ओर मशीन से सिलाई द्वारा 15X10 सेमी० आकार की रैक्सीन/कैनवास की स्लिप अनिवार्य रूप से लगायी जायेगी, जिसमें मिलर का नाम, फसल वर्ष, कोड नम्बर, शुद्धभार, लाट संख्या एवं चावल की किस्म आदि विवरण अंकित किया जायेगा।

21 चावल खरीद हेतु वित्त व्यवस्था :-

21.1 खरीफ वर्ष 2012-13 में लेवी चावल की खरीद व्यवस्था के लिए स्टेशनरी, क्रय केन्द्रों के निरीक्षणार्थ किराये पर वाहन, पी०ओ०एल० टेलीफोन, सरकारी गोदाम न उपलब्ध होने पर किराये के गोदाम लिया जाना, हैण्डलिंग/परिवहन व्ययों का भुगतान, बोरों की आपूर्ति तथा वर्षा आदि से खाद्यान्नों के रख-रखाव के लिए तिरपाल, क्रेटस, नमी मापक यंत्र आदि क्रय किया जाना व चावल के मूल्य का भुगतान करने हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन एवं अन्य जो भी व्यवस्था खरीददारी के हित में आवश्यक होगी, उस पर खाद्य विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त व्यय लेखा शीर्षक-“4408”-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01-खाद्य-101-खरीद और पूर्ति-03-अन्नपूर्ति योजना- 31-सामग्री और सम्पूर्ति से नियमानुसार प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन वहन किये जायेंगे।

2 खाद्यान्नों के रख-रखाव के लिए तिरपाल, क्रेटस नमी मापक यंत्र आदि का क्रय तब तक किया जाये, जब तक गतवर्ष खरीदे गये उक्त इंगित सामान एवं चंत्र का उपयोग न कर लिया जाये। इनकी खरीद आवश्यकतानुसार मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुये की जायेगी। गत वर्षों की भाँति लेवी चावल की खरीद हेतु आवश्यक वित्तीय व्यवस्था रिजर्व बैंक से कैश क्रेडिट लिमिट (CCL) के आधार पर बैंक से ऋण लेकर की जायेगी। राज्य सरकार पर ऋण का भार कम से कम हो इस निमित्त यह आवश्यक है कि पी0डी0एस0 से प्राप्त धनराशियाँ समय से राजकोष में जमा होती रहें और इनकी सूचना शासन/खाद्य आयुक्त को प्राप्त होती रहे। साथ ही सब्सिडी तथा अग्रिम सब्सिडी के बिले भारत सरकार को समय से प्रेषित किये जायें। उक्तानुसार राज्य कोष में पी0डी0एस0 की प्राप्तियाँ जमा करवाने, सब्सिडी के विपत्रों का यथासमय भारत सरकार को प्रेषण एवं सब्सिडी की धनराशि प्राप्त करने एवं समय से सी0सी0एल0 की प्राप्ति एवं उसकी समय से अदायगी तथा कैश फ्लो बनाने के लिए वित्त नियंत्रक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। वित्त नियंत्रक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि मिलर्स को समय से भुगतान हो तथा सी0सी0एल0 पर शासन को परिहार्य व्याज का भुगतान न करना पड़े।

22 कठिनाइयों का निराकरण :-

लेवी चावल उद्ग्रहण से सम्बन्धित जारी की गयी इस शासकीय अधिसूचना अथवा तत्सम्बन्धित शासनादेशों के क्रियान्वयन में यदि किसी समय में कोई कठिनाई अनुभव की जाती है अथवा इस प्रयोजन के लिये स्थिति स्पष्ट करने के लिये आवश्यकता होती है, तो उसके लिए आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड निर्णय लेने के लिये अधिकृत होंगे। यदि कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है, जो नीति विषयक हो या जिसमें अनुमोदित नीति से विचलन निहित हो तो आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

23 चावल खरीद एवं डिलीवरी और निरीक्षण की प्रगति की समीक्षा :-

23.1 लेवी चावल की खरीद एवं उसके संग्रह एजेन्सी को डिलीवरी की प्रगति की समीक्षा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक एवं संग्रह एजेन्सी के प्रबंधक द्वारा सम्भाग स्तर पर संयुक्त रूप से प्रति सप्ताह की जायेगी। स्थिति की सूचना प्रत्येक सप्ताह खाद्यायुक्त को दी जायेगी। खाद्यायुक्त द्वारा संकलित सूचना नियमित रूप से शासन को भेजी जायेगी।

23.1 लेवी स्कीम की देख-रेख करने वाले पर्यवेक्षण अधिकारी खरीद केन्द्रों का समय-समय पर निरीक्षण करेंगे।

23.2 खरीफ-खरीद सत्र 2012-13 में धान/चावल की गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुये आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा मुख्यालय स्तर पर एक सचिल दस्ते का गठन किया जायेगा, जो कि पाक्षिक रूप से क्रय केन्द्रों एवं लेवी योजना के अन्तर्गत विकेन्द्रीयकृत योजना में क्रय किये गये चावल का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे तथा इसकी मासिक रिपोर्ट प्रतिमाह शासन को उपलब्ध करायेंगे। यह सचिल दस्ता अपर आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशन पर कार्य करेगा।

24 चावल खरीद के आँकड़ों का प्रेषण :-

24.1 उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक लेवी चावल की खरीद की प्रगति की सूचना विगत वर्ष निर्धारित प्रारूप पर फैक्स के माध्यम से प्रभारी, नियंत्रण कक्ष, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को जो कि खाद्य आयुक्त कार्यालय, 8-ए बंगाली लाइब्ररी रोड, देहरादून में स्थापित किया गया है तथा जिसका दूरभाष/फैक्स संख्या-0135-2740778, 2740765 है, पर नियमित रूप से प्रेषित की जायेगी।

24.2 दोनों सम्भागों के सम्भागीय खाद्य नियंत्रक प्रतिमाह स्टेटपूल योजनार्त्तगत चावल की प्राप्ति/निर्गमन की योजनावार सूचना तथा दोनों सम्भागों के सहायक आयुक्त (खाद्य) योजनावार मासिक वितरण की सूचना अनुवर्ती माह की अधिकतम 07 तारिख तक इस प्रमाण पत्र के साथ कि "निर्गत खाद्यान्व सम्बन्धित योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित कर दिया गया है", वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि समय से सब्सिडी प्राप्त करने सम्बन्धी कार्यवाही की जा सके।

24.3 स्टेटपूल योजनार्त्तगत भण्डारित चावल का निर्गमन सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा जारी विभिन्न योजनाओं के मासिक आवंटन के अनुरूप, सम्बन्धित जनपद के उप सम्भागीय विषयन अधिकारी/सम्भागीय विषयन अधिकारी द्वारा जारी रिलीज आर्डर के आधार पर किया जायेगा। संग्रह ऐजेन्सियाँ बिना रिलीज आर्डर के डिपो से चावल का निर्गमन करापि नहीं करेंगी।

24.4 सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य) चावल की खरीद एवं मिलर को भुगतान के विवरण को इस हेतु पूर्व निर्धारित प्रारूप में वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड को भेजेंगे।

भक्तीय
26/11/2012
(सुबद्धन)
सचिव

संख्या 495 / 12-XIX-2 / खरीफ-खरीद / 51 खाद्य / 2012 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2— सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री जी, उत्तराखण्ड।
- 3— निजी सचिव, मा० खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी उत्तराखण्ड के संज्ञान में लाने हेतु प्रेषित।
- 4— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 5— प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6— संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 7— अनु सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 8— सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 9— मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 10— वित्त नियन्त्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
- 11— नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड।
- 12— क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड।
- 13— क्षेत्रीय प्रबन्धक, राज्य/केन्द्रीय भण्डारण निगम, उत्तराखण्ड।
- 14— उपसम्भागीय विषयन अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, कुमाऊँ सम्भाग/गढ़वाल सम्भाग, हल्द्वानी/देहरादून।
- 15— सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, गढ़वाल सम्भाग/कुमाऊँ सम्भाग।
- 16— एनआईसी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी०वी०आर०सी० पुरुषोत्तम)
अपर सचिव।

घोषणा पत्र

(बासमती तथा पूसा बासमती (1) चावल निर्यातक/गैर निर्यातक इकाइयों के लिये)

- 1- दिनांक
- 2- मिल का नाम
- 3- केन्द्र का नाम/जनपद/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक
- 4- मिल में संग्रहित बासमती/ पूसा बासमती
 - (1) चावल की कुल मात्रा
- 5- (अ) मिल द्वारा निर्यात की जाने वाली मात्रा
- (ब) मिल द्वारा गैर निर्यात (स्थानीय बाजार) में विक्रय किये जाने वाली मात्रा
- 6- मिल में अवशेष बासमती / पूसा बासमती (1)
 - चावल की अवशेष मात्रा
- 7- प्राप्तकर्ता का नाम व पता
- 8- ट्रक संख्या/ ड्राइवर का नाम
- 9- निर्यात की जाने वाली मात्रा के सम्बन्ध में बिल आफ लोडिंग फार्म-15 एच संलग्न किये जाते हैं.
- 10- (अ) विगत माह में बासमती तथा पूसा बासमती (1)
 चावल की निर्यात की गयी कुल मात्रा
- (ब) विगत माह में गैर निर्यात (स्थानीय बाजार)
 में विक्रय किये गये कुल चावल की मात्रा.....
- 11- मिल द्वारा निर्मित अब तक गैर निर्यात (स्थानीय बाजार)
 में बिकी की गयी कुल मात्रा.....
- 12- (अ) मिल द्वारा अब तक निर्यात की गयी कुल मात्रा....
- (ब) मिल द्वारा अब तक गैर निर्यात (स्थानीय बाजार)
 में बिकी की गयी कुल मात्रा.....

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे संज्ञान के अनुसार सही है। अतएव सूचना देने अथवा शासनादेश का उल्लंघन करने पर मेरे विरुद्ध संगत नियमों, उप नियमियों एवं आई०पी०सी० की संगत धाराओं के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही तथा मेरे द्वारा प्राप्त की गयी छूट के भुगतान का दायित्व मय ब्याज एवं दण्डभार सहित वसूलने का अधिकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल को होगा।

हस्ताक्षर
केन्द्र प्रभारी का नाम हस्ताक्षर सहित

मिल का नाम व पता
(मुहर सहित)

मूवमेन्ट चालान

विभाग का नाम :— खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।

सम्भाग :—

जनपद :—

बुक संख्या..... क्रमांक.....

- | | | |
|-----|---|-------|
| 1. | प्रेषण की तिथि / समय | |
| 2. | प्रेषक केन्द्र का नाम | |
| 3. | प्राप्तकर्ता केन्द्र का नाम | |
| 4. | ट्रांसपोर्टर का नाम | |
| 5. | ट्रक संख्या | |
| 6. | ट्रक चालक का नाम | |
| 7. | खाद्यान्न का नाम एवं किस्म | |
| 8. | बोरों की संख्या एवं किस्म | |
| 9. | प्रेषित नेट वजन | |
| 10. | लाट संख्या | |
| 11. | विश्लेषण परिणाम | |
| 12. | प्राप्तकर्ता केन्द्र पर प्राप्ति तिथि / समय | |

प्रेषक केन्द्र के निरीक्षक का नाम,
हस्ताक्षर एवं सील

प्राप्ति डिपो / गोदाम पर प्राप्त
खाद्यान्न का विवरण

चावल / परिवहन ठेकेदार के हस्ताक्षर

प्राप्तकर्ता / अधिकारी का
नाम, हस्ताक्षर एवं सील

चावल की खरीद एवं मिलर को भुगतान का विवरण
खरीफ क्रय योजना 2011-2012

सम्भाग का नाम

विवरण की तिथि—

(मात्रा मीठन में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्रमांक | विवरण | मात्रा | धनराशि |
|---------|--|--------|--------|
| 1 | कुल क्रय मात्रा | | |
| 2 | भुगतान की धनराशि | | |
| 3 | भा०खा०नि० को प्रेषित मात्रा | | |
| 4 | स्टेटपूल में संग्रहीत मात्रा एस०डब्ल०सी० सी०डब्ल०सी० | | |
| 5 | भा०खा०नि० से प्राप्त एकनालेजमेन्ट | | |
| 6 | भा०खा०नि० पर अवशेष एकनालेजमेन्ट की मात्रा | | |
| 7 | भा०खा०नि० को प्रेषित विपत्रों की मात्रा | | |
| 8 | भा०खा०नि० को प्रेषित विपत्रों की धनराशि | | |
| 9 | भा०खा०नि० से प्राप्त भुगतान की धनराशि | | |
| 10 | भा०खा०नि० पर अवशेष भुगतान की मात्रा | | |
| 11 | भा०खा०नि० से अवशेष भुगतान की धनराशि | | |
| 12 | भा०खा०नि० द्वारा की गई कटौती की धनराशि | | |
| 13 | भा०खा०नि० द्वारा वापस विपत्रों की मात्रा | | |
| 14 | भा०खा०नि० द्वारा वापस विपत्रों की धनराशि | | |

संभागीय लेखाधिकारी,
.....संभाग.....।